

पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक
गोरखपुर, दिनांक 24.08.2023

सं०:2021/मेड/सतर्कता/निस्तारण

चिकित्सा निदेशक/ल०न०मि०रे०चि/गोरखपुर ।
मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/ वाराणसी, लखनऊ एवं इज्जतनगर ।

विषय : IRMS चिकित्सकों के वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) के सम्बन्ध में।

संदर्भ : (1) सतर्कता विभाग, गोरखपुर का पत्र संख्या: NOC/2016/12/02624/ PC/104

दिनांक 07.02.2023 एवं पत्र संख्या: NOC/2016/12/02624/PC/47

दि० 05.06.2018 (प्रति संलग्न)

(2) इस कार्यालय का पत्र सं०:2018/मेड/सतर्कता निस्तारण दि० 07.06.2018 (प्रति संलग्न)

(3) रेलवे बोर्ड का पत्र सं०:F(E)I/2009/AL-7/1 दिनांक 24.07.2009, 26.07.2011 एवं
30.08.2016

(4) रेलवे बोर्ड का पत्र सं०:F(E)I/2020/AL-7/1 दिनांक 10.01.2022

सतर्कता विभाग के संदर्भित पत्र सं०-1 दि० 05.06.2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करने हेतु इस कार्यालय के संदर्भित पत्र सं०-2 द्वारा कहा गया था ।

सतर्कता विभाग ने संदर्भित पत्र सं०-1 दि० 07.02.2023 द्वारा पुनः अवगत कराया है कि लगभग सभी चिकित्सकों द्वारा केवल घोषणा पत्र के आधार पर ही अधिकतम दर से वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) क्लेम किया जा रहा है तथा इस क्लेम में चिकित्सकों द्वारा पद्धति सुधार के साथ दिए गये प्रारूप में अपनी डेमिसलरी या हॉस्पिटल विजिट्स का प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि सतर्कता विभाग के संदर्भित पत्रों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये एवं कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को भी अवगत करायें, ताकि सतर्कता विभाग को सूचित किया जा सके ।

संलग्नक-यथोपरि


24.08.23
(डा० डी०के०सिंह)

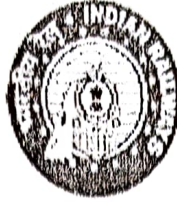
अपर मुख्य चिकित्सा निदेशक/टी०ए०

प्रतिलिपि - उपमुसताधि/सिग्नल एवं दूरसंचार, गोरखपुर को उनके संदर्भित पत्र के अनुपालन में सूचनार्थ ।

पूर्वोत्तर रेलवे
NORTH EASTERN RAILWAY

Confidential

कार्यालय
महाप्रबंधक/सतर्कता
गोरखपुर-273012



Office of
General Manager/Vigilance
Gorakhpur- 273012

No.NOC/2016/12/02624/PC/104

Dated-07.02.2023

प्रमुख मुख्य चिकित्सा निदेशक,
पूर्वोत्तर रेलवे,
गोरखपुर।

विषय :- IRMS चिकित्सकों के वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) के संबंध में।

संदर्भ :- 1. रेलवे बोर्ड पत्र के समसंख्यक पत्र F(E)/2009/AL-7/1, दिनांक 24.07.2009, 26.07.2011, 30.08.2016.

2. इस कार्यालय का पत्र संख्या NOC/2016/12/02624/PC/47, दिनांक 05.06.2018।

3. आपके कार्यालय का पत्र संख्या 2018/मेड/सतर्कता निस्तारण, दिनांक 07.06.2018।

4. रेलवे बोर्ड पत्र संख्या F(E)/2020/AL-7/1, दिनांक 10.01.2022।

संदर्भित पत्र संख्या-01 को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जाँच में पाया गया था कि चिकित्सकों द्वारा वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) क्लेम करते समय ड्यूटी घंटों के पश्चात की गयी डोमिसलरी विजिट्स या हॉस्पिटल विजिट्स का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था, इस पर सतर्कता विभाग द्वारा एक पद्धति सुधार भी सुझाया गया था। इस पद्धति सुधार को संज्ञान में लेकर आपके कार्यालय द्वारा पत्र संख्या 2018/मेड/सतर्कता निस्तारण, दिनांक 07.06.2018 के माध्यम से एक पद्धति सुधार जारी किया गया था। इसके बावजूद संज्ञान में आया है कि लगभग सभी चिकित्सकों द्वारा केवल घोषणा पत्र के आधार पर ही अधिकतम दर से वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) क्लेम किया जा रहा है तथा इस क्लेम में चिकित्सकों द्वारा इस पद्धति सुधार के साथ दिए गए प्रारूप में अपनी डोमिसलरी या हॉस्पिटल विजिट्स का प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया जा रहा है। पद्धति सुधार जारी होने के बाद भी इस पद्धति सुधार का अनुपालन न किये जाने को सतर्कता विभाग द्वारा गंभीरता से देखा जा रहा है। ज्ञात हो कि अधिकतम दर से वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) क्लेम करने हेतु संदर्भित पत्र संख्या-3 में दी गयी 20 विजिट्स का प्रमाण न प्रस्तुत किया जाना इस भत्ते के मूल उद्देश्य "लाभार्थियों के हितार्थ किये गए कार्य की प्रतिपूर्ति" को पूरा नहीं करता है। इस भत्ते को उद्देश्य परक बनाये जाने हेतु इस भत्ते को क्लेम किये जाने के साथ ड्यूटी घंटों के पश्चात की गयी डोमिसलरी

या हॉस्पिटल विजिट्स का प्रमाण चिकित्सकों द्वारा सतर्कता विभाग द्वारा सुझाये गए उचित प्रारूप में प्रस्तुत किए जाने हेतु निर्देशित करें, जिसके बिना वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) का क्लेम स्वीकार न किया जाए। साथ ही रेलवे चिकित्सालयों में भी ड्यूटी घंटों के पश्चात बुलाये गए चिकित्सकों के विजिट का रिकॉर्ड रखने हेतु निर्देशित करें ताकि उसको भी प्रमाणस्वरूप चिकित्सकों द्वारा प्रस्तुत किया जा सके। कृपया इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कृत कार्यवाही से सतर्कता विभाग को अवगत कराने का कष्ट करें। इस पर वउमप्र महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

२१
वैभव
07/02/23
(वैभव श्रीवास्तव)
उपमुख्याधि/सिग्रल एवं दूरसंचार
कृते महाप्रबंधक/सतर्कता